—: राजस्थान सरकार :—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

(जीसीएमएस नं0 2022 / 12)

मु0नं0–82 / 2022

उनवान – सरकार बनाम राजकुमार बसंल पुत्र द्वारिका प्रसाद , उम्र 49 वर्ष,जाति वैश्य , मैसर्स राजकुमार किराना एण्ड परचून स्टोर , लखन होटल के सामने बाडी, धौलपुर निवासी अग्रसेन कोलोनी,बाडी,धौलपुर जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51,52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –29.05.2024

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त राजकुमार बसंल पुत्र द्वारिका प्रसाद , उम्र 49 वर्ष,जाति वैश्य , मैसर्स राजकुमार किराना एण्ड परचून स्टोर , लखन होटल के सामने बाडी, धौलपुर निवासी अग्रसेन कोलोनी,बाडी,धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii) / 51,52 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.08.2021 को अभियुक्त / अप्रार्थी के दुकान मैसर्स– राजकुमार किराना एण्ड परचून स्टोर , लखन होटल के सामने बाडी, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान के शोकेस मे लगभग 8 बोतल (प्रत्येक 700 एमएल) शर्वत–ए–बहार को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त शर्वत–ए–बहार में मिलावट का शक होने पर उक्त शर्वत–ए–बहार को 4 बोतल (प्रत्येक 700 एमएल) शर्वत–ए–बहार वास्ते नमूना जांच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त हनी (सौंफ) नमूना डी–2559 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस / 932 / एक्ट / 2022 / 932 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया शर्वत–ए–बहार सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (Substandard & Misbrand) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 एवं 52 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री कुशमाकर गर्ग, अभिभापक उपस्थित हुये। अप्रार्थी अभिभाषक को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया । जबाब पेश करने से मना किया। अप्रार्थी अभिभाषक ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (Substandard & Misbrand) शर्वत–ए–बहार का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (Substandard & Misbrand) शर्वत–ए–बहार बेचने का दोषी है जो धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री राजकुमार बसंल पुत्र द्वारिका प्रससाद , उम्र 49 वर्ष,जाति वैश्य , मैसर्स राजकुमार किराना एण्ड परचून स्टोर , लखन होटल के सामने बाडी, धौलपुर निवासी अग्रसेन कोलोनी,बाडी,धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत 21,000 / –रुपये (इक्कीस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Gm

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner